प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00273/2022-2023

दिनांक 30/04/2022

# सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

# (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण
संख्या:R/BUL/01464/2022-2023

पत्रावली संख्या:62884-M

दिनांक:2016-2017

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री ब्रहम सिंह एजूकेशनल सोसायटी, म०न०-72 ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० भूडाखेडा तहसील व जिला बुलन्दशहर।, बुलन्दशहर , 203409** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 969 दिनांक-18/01/2017 को दिनांक-18/01/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

**Digitally Signed By**
**(ARVIND KUMAR SINGH)**
**5BAB8725D0F998628ED3E67B9679BBD11EE91463**

**Date: 30/04/2022 6:12:11 PM, Location: Meerut.**

जारी करने का दिनांक-30/04/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

प्रमाणपत्र कमांक 036135

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

संख्या ६५५५ दिनांक 18.01.2017

**सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र**

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ★ मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

पंजीकरण संख्या 969 पत्रावली संख्या 62884–एम दिनांक 2016-2017

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि *..श्री..ब्रह्म..सिंह..........................................

एजूकेशनल सोसायटी, म०नं०– 72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूडाखेडा तहसील व जिला– बुलन्दशहर को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र ..........17-01-2022.......... तक विधि मान्य होगा ।

आज दिनांक ..........18 - 01.......... दो हजार ..........17.......... को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

*सोसाइटी का नाम, पता

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सो० फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1373)–2,00,000 प्रतियां (क० / टी० / ऑफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 417769

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री कृष्ण सिंह एजुकेशनल सोसाइटी
ग्राम खेड़पुर बुजुर्ग पो० मूढ़ाखेड़ा।
जिला बु० शहर पत्रावली सं० 62884 (m)
स्मृति पत्र संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस, मेरठ।

20-1-17

# स्मृति- पत्र

1 संस्था का नाम : श्री ब्रहम सिंह एजूकेशनल सोसायटी।

2 संस्था का पूरा पता : म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर।

3 संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4- संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे :-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राईमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
2. प्ले नर्सरी स्कूल की स्थापना कर संचालन करना।
3. निर्धन व अनाथ बालक/ बालिकाओं के सिलाई, कढाई, बुनाई जैसे अन्य हस्तशिल्प शिक्षण- प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।
4. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा तकनीकी/गैरतकनीकी/प्राविधिक संस्थानो की स्थापना कर संचालन करना।
5. समाज में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांगों आदि के सामाजिक उत्थान हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।
6. आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक अपादाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधाये उपलब्ध कराना।
7. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे खेल-कूद, वाद विवाद, चित्रकला, सामान्य ज्ञान आदि का आयोजन कराना ।
8. नियमानुसार चिकित्सा कैम्प, शिविरों का आयोजन करांकर परिवार कल्याण एवं पोलियो, संक्रामक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
9. बच्चों तथा युवकों/ युवतियों के लिए छात्रावास पुस्तकालय की स्थापना करना ।
10. विद्यार्थियों को पुरूस्कृत कर प्रोत्साहित कर उनके मनोबल को बढ़ावा देना।
11. गरीब, अनपढ एवं ग्रामीण क्षेत्र वर्ग के समाज को शिक्षित करने, विकासन्मुख एवं उनको समाज में आगे बढावा देने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

20-1-17

सोसाइटीज तथा चिट्स, निबन्धक, मेरठ मण्डल, मेरठ
सत्यमेव जयते

5 प्रबन्धकारिणी समिति :- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनकों नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

| क्र0 सं0 | नाम व पिता/ पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री टैनपाल सिह पुत्र श्री ब्रहम सिह | म0न0-72,ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | अध्यक्ष | सेवान्विृत |
| 2. | श्री ऋषभ राजौरा पुत्र श्री अरविन्द कुमार | म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | उपाध्यक्ष | अध्ययनरत |
| 3 | श्री अनुज कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | प्रबन्धक | व्यापार |
| 4. | श्रीमती भावना पत्नी श्री अनुज कुमार | म0न0-1053,फस्ट फलोर नीति खण्ड-1,इन्द्रापुरम,गाजियाबाद। | उपप्रबन्धक | गृहणी |
| 5. | श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | कोषाध्यक्ष | व्यापार |
| 6. | श्रीमती अन्जु पत्नी श्री रतन सिंह | म0न0-1354, सैक्टर-37, कम्यूनिटी सेंन्टर के पास, फरीदाबाद,हरियाणा। | सदस्य | गृहणी |
| 7 | श्री ध्यान सिह पुत्र श्री ब्रहम सिंह | म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | सदस्या | सेवान्विृत |
| 8. | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सत्यपाल सिह | म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | सदस्या | गृहणी |
| 9. | श्री राजीव कुमार पुत्र श्री शिवदान सिंह | ग्राम खंडेहा खैर अलीगढ़। | सदस्य | कृषि |

6 हम निम्न ह0कर्ता घोषित करते है कि इस स्मृति-पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो0रजि0ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक

हस्ताक्षरः

टैनपाल AIE

Rishabh Anuj

सुनीता देवी

Rajeev

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-1-17

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0) सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 417770

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री ब्रह्मर्षि इन्टरनेशनल सोसाइटी
ग्राम फतेहपुर गुर्जर पो० मुण्डाखेड़ा
जिला बु०शहर पत्रावली सं० 62884(m)
नियमावली संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-1-17

# नियमावली

1- संस्था का नाम : श्री ब्रहम सिंह एजूकेशनल सोसायटी।

2- संस्था का पूरा पता : म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे ।

5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 1100/- रू0 या उससे अधिक धन या सम्पत्ति संस्था को प्रदान करायेगें और उपयुक्त उद्देश्यों से सहमत होगें। वे संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 100/-रू0 या उससे अधिक धन या सम्पत्ति संस्था को प्रदान करायेगें और उपयुक्त उद्देश्यों से सहमत होगें। वे संस्था के सामान्य सदस्य कहलायेगा ।

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ मण्डल, मेरठ
सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
20-1-17

6 सदस्यता की समाप्ति :-

1- सदस्य की मृत्यु होने पर ।

2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर ।

3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।

4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

5- संस्था के विरूद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर।

6- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

7 संस्था के अंग :- क- साधारण सभा ।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति ।

8 साधारण सभा :-

क-गठन:- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

ख-बैठक :- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी ।

घ-कोरम :- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

9- विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
20-1-17

....3।

च- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।

3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/ 3 बहुमत से करना।

4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।

5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स * मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) * सत्यमेव जयते

प्रबन्धकारिणी समिति :-

क-गठन :- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा।

ख-बैठकें :- सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी ।

घ-कोरम :- प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

च-कार्यकाल :- प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

छ-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।

2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

20-1-17

Rustagi Ajay Dsingh सुनीता देवी Rajeev K

3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट,बजट आदि को तैयार कराना।

4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना ।

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना ।

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

1- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना ।

3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4- संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

प्रबन्धक :-

1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।

2- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

3- संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पडने पर प्रमाणित भी करना ।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

4- संस्था के द्वारा संचालित संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।

6- संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रबन्धक :- प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :- 1- संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11 नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

संस्था का कोष :-

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष दोनो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस, मेरठ।
20-1-17

Rishabh
सुनीता देवी

13 आय व्यय लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14 कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

15- अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे ।

16- विघटन :-

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

17- प्रतिबन्धों की बाध्यता :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
20-1-17

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक-

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... मण्डल, मेरठ
सत्यमेव जयते

सत्यप्रतिलिपि ।

Rishabh

Dsingh

सुनीता देवी

Rajeev Ku

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-1-17

## घोषणा पत्र

श्री ब्रहम सिंह एजुकेशनल सोसायटी म0नं0 72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग, पोस्ट मूडाखेड़ा, तहसील व जिला बुलन्दशहर, उ0प्र0 पबन्धक कारिणी समिति के सभी सदस्य नियमावली (18.01.2017) के अन्तरगत घोषणा करते है कि गाटा सं0 142, 143, 147, 159अ, 159ब, पर सी0डब्लू0 डी0 इण्टर नेशनल स्कूल के निर्माण को ग्राम मूडाखेड़ा विकास क्षेत्र खुरजा में प्रस्तावति किया जाता हैं

| क्र0सं0 | प्रबन्धक कारिणी समिति के सदस्य | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | श्री टैनपाल सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह | [signature] |
| 2. | श्री ऋषभ राजौरा पुत्र श्री अरविन्द कुमार | Rishabh |
| 3. | अनुज कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | [signature] |
| 4. | श्रीमती भावना पत्नी श्री अनुज कुमार | भावना |
| 5. | श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | [signature] |
| 6. | श्रीमती अन्जू पत्नी श्री रतन सिंह | A singh. |
| 7. | श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह | D singh. |
| 8. | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सत्यपाल सिंह | सुनीता देवी |
| 9. | श्री राजीव कुमार पुत्र श्री शिवदान सिंह | Rajeev Kumar |

[signature]

18-01-17

Manager
Shri Braham Singh Educational Society
Fatehpur Buzurg (BSR)